[2015] 2 एस.सी.आर. 540

ओशियार प्रसाद एवं अन्य

बनाम

एम.एस. बी.सी.सी.एल., धनबाद, झारखंड के सुदामडीह कोल वाशरी के प्रबंधन के संबंध में नियोक्ता

(सिविल अपील संख्या 1389/2015)

फरवरी 02, 2015

[फक्किर मोहम्मद इब्राहिम कलीफुल्ला एवं

अभय मनोहर सप्रे, जे.जे.]

अधिकरण को विवादों का संदर्भित करना–शक्ति–निर्धारित: जब कोई विवाद पक्षकारों के बीच विद्यमान हो या इसकी संभावना हो तो उपयुक्त सरकार को धारा 10 के तहत संदर्भित करने की शक्ति प्राप्त है–अधिकरण, संदर्भ का उत्तर देते समय, अपनी जांच के समय केवल उन्हीं प्रश्न(नों) तक सिमित रहेगा जो उसे संदर्भित किए गए हैं--तथ्यात्मकतः अपीलार्थीगण , जिनकी पहल पर संदर्भ किया गया था, वे संदर्भ करने से बहुत क़बल पदमुक्त कर दिए गए थे–इस प्रकार कोई औद्दयोगिक विवाद, अपीलार्थीगण को बी.सी.सी.एल की सेवा में समावेशित करने का, न तो कोई विवाद मौजूद था न ही इसकी संभावना थी–इसके मद्दे नज़र, अपीलार्थीगण का बी.सी.सी.एल. की सेवा में समामेलन या नियमितकरण का प्रश्न नहीं उठता न ही इसके गुण दोष पर विचार किया जा सकता था–इसके अलावा, बी.सी.सी.एल. के उन 39 कामगारों, जिन्हें समावेशित किए जाने का संदर्भ किया गया था, जिस में वे समावेशित कर लिए गए थे, क्योंकि वे सेवा में थे, उन के मामले से इस मामले में कोई समानता नहीं ढूंढी जा सकती–निचली अदालत ने सही निर्धारित किया है कि अपीलार्थी सेवा में समावेशित होन का दावा बी.सी.सी.एल. की हैसियत से करने के हक़दार नहीं हैं---- हालांकि अपीलार्थीगण छंटनी के मुआवज़ा का दावा ठेकेदार / बी.सी.सी.एल. से करने के हक़दार हैं।

अपील का निष्पादन करते हुए न्यायालय ने

निर्धारित किया: 1.1 उपयुक्त सरकार धारा 10, औद्दयोकगिक विवाद अधिनियम,1947 के तहत कोई संदर्भ तभी भेजने को सशक्त है जब पक्षकारों केभ बीच "कोई औद्दयोगिक विवाद" "मौजूद हो" या इस प्रकार का "आभास हो" अधिकरण संदर्भित प्रश्न/नों का उत्तर देने हेतु अपनी जांच को उन्हीं प्रश्न/नों तक सिमित रखेगा और इसके दायरे से बाहर नहीं जाएगा. ब-दलील मुहकम, अधिकरण संदर्भ का उत्तर देते समय वैसे किम्हीं प्रश्नों की जांच नहीं कर सकता जो उसे विशेष रूप से संदर्भित न किए गए हों. [पारा 25] [553 डी-एफ़]

1.2 अपीलार्थीगण एंव वे लोग जिनकी पहल पर संदर्भ किया गया था, वे संदर्भ दिए जाने के बहुत क़बल सेवा से बरखास्त किए जा चुके थे. ये कामगार, इस प्रकार, प्रश्नगत संदर्भ किए जाने की तारीख़ पर न तो ठेकेदार या/और न ही बीसीसीएल के सेवा में थे. इसलिए कोई औद्द्योगिक विवाद के "मौजूद होने" या "इसकी संभावना" अपीलार्थीगण से सम्बंधित इन्हें बीसीसीएल की सेवा में समामेलित करने की नहीं थी. बेशक, अगर अपीलार्थी ठेकेदार या/और बीसीसीएल की सेवा में रहे होते तो इनके समावेशन से सम्बंधित संदर्भ विनिश्चय के लिए भेजे जाने के क़ाबिल होता. लेकिन, चूंकि अपीलार्थीगण की सेवाएं बहुत पहले विच्छेदित या/और छंटनी कर दी गई थीं (सही या ग़लत जो भी हो), इनके बीसीसीएल की सेवाओं में समावेशन या नियमितिकरण का, जैसा इनका दावा है, सवाल ही नहीं उठता और न ही इस विषय के गुण-दोष पर विचार किया जा सकता है, क्योंकि इनकी सेवाओं के नियमितकरण का वैधानिक रूप से कोई निदेश देना संभव नहीं है, जब ये सेवा में कार्यरत थे ही नहीं. [पारा26,27][553एफ़-एच.,554-ए-सी]

औद्दयोगिक विवाद जिसका अस्तित्व औद्दयोगिक संदर्भ को भेजने के लिए था वह केवल अपीलार्थियों से सम्बंधित उनके सेवा बर्खास्तगी का था, जो अधिकरण को नहीं भेजा गया, इसलिए वह अपीलार्थीगण के विरुध्द अपनी पुर्णता प्राप्त कर चुका, परिणामतः यदि संदर्भ अपीलार्थीगण को बीसीसीएल की सेवा में समावेशन की जांच के लिए भेजा भी गया होता तब भी यह भ्रामक होता। पारा 29,30 [554 एफ़-जी].

1.4 पूर्वत संदर्भित मामला, जो 39 कामगारों के बीसीसीएल की सेवा समावेशन से सम्बंधित विनिश्चय के लिए था उसके तथ्य और वर्तमान मामले के तथ्य में कोई समानता नहीं है. ऐसा इसलिए क्योंकि वे सब सेवा में थे. जब कि जहां तक वर्तमान मामले का सम्बंध है, अपीलार्थी सेवा में नहीं थे. सिर्फ़ इस आधार पर कि दोनों संदर्भित मामले के कामगार एक ही परियोजना में कार्यरत थे, यह अपने आप में एक दूसरे की समानता के अधिकार का दावा करने के लिए काफ़ी नहीं है. जहां तक समानता सभी सुसंगत विवाद्दक,जो इस मामले में उत्पन्न हुए हैं, सिध्द नहीं हुए थे, कोई कामगार शख़्सी या सामूहिक तौर पर, केवल नियोक्ता की समानता के आधार पर, समानता ,के दावे का अधिकार किसी राहत के हक़दार नहीं रखते। इस प्रकार अपीलार्थीगण के बीसीसीएल की सेवा में समावेशन के प्रश्न को संदर्भित करना अक्षमतता थी और किसी भी हालत में अपीलार्थीगण के पक्ष में इस का उत्तर देना भी असमर्थता होती।

[पारा 31,32,33] [554-एच.,555-ए-डी]

इन सब के अलावा, जब तीन न्यायालयों ने इन अद्दढ़ता के बावजूद तथ्यों पर विचार किया और निर्धारित किया कि अपीलार्थीगण बीसीसीएल की सेवा में समावेशन का दावा करने का अधिकार नहीं रखते, और उनका ऐसा मानना सही था, और अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंदर नए सिरे से तथ्यात्मक विवाद्दकों पर विचार करने का कोई उचित आधार नहीं है. तीन न्यायालयों द्वारा तथ्यों पर अभिलिखित निष्कर्ष इस न्यायालय पर बाध्यकारी हैं. परिणामतः आक्षेपित आदेश को रद्द करने का कोई आधार नहीं है। [पारा 34,35] [555-ई-जी]

मामले के विशिष्ट तथ्य को ध्यान में रखते हुए तथा निम्म कारणों से अपीलार्थिगण ठेकेदार/बीसीसीएल से छंटनी मुआवज़ा का दावा करने के हक़दार हैं। प्रथमतः उत्तरवादीगण अधिकरण के समक्ष दिए गए अपने बयान तहरीरी में ऐसे सभी कामगारों को अधिनियम की धारा 25-एफ़ के तहत छंटनी मुआवज़ा अदा करने की पेशकश की है. द्वतीयः कोई ऐसा दस्तावेज़ दाखिल नहीं किया गया है जो दर्शाता हो कि आज तक अपीलार्थीगण या किसी

अन्य कर्मगार को उत्तरवादीगण ने कोई मुआवज़ा अदा किया गया है, और अंतिम यह कि तीन सदियां गुज़र चुकी हैं और अब तक समावेशन या-और मुआवज़ा की अदायगी अपनी पूर्णता को नहीं पहुंची. पौट्री मज़दूर पंचायत मामले में दिए गए प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए औद्दयोगिक न्यायाधिकरण को निदेशित किया जाता है कि अपीलार्थीगण (150 या जो भी हों) के केसेज़ में कामगारों के छंटनी मुआवज़े के दावों को सत्यापित कर अधिनियम की धारा 25-एफ के तहत अभिनिर्धारित करे कि प्रत्येक कामगार के छंटनी मूआवज़ा की राशि कितनी होगी और तदनुसार उसका भुगतान किडया जाए। [पारा 36,37 व 38] [556-ए.सी; 557-इ-एफ़]

पौटरी मज़दूर पंचायत बनाम पर्फेक्ट पौटरी कम्पनी लिमिटेड एंव अन्य (1979) 3 एससीसी 762--- अवलम्बित निर्णय

डेलही क्लौथ एंड जेनेरल मिल्स कम्पनी लिमिटेड बनाम दि वर्कमेन एंव अन्य ए.आई. आर 1967 एस.सी.469 : 1967 एस.सी.आर 882; मेसर्स फायर स्टोम टायर एंड रबर कं. औफ़ इंडिया **एम्प्लायड, रिप्रेज़ेन्टेड बाइ फायरस्टोन टायर इम्पलाइज़ यूनियन ए.आई.आर. 1981 एस.सी 1626** : 1982 (1) एस.सी.आर 20; नेशनल इंजिनियरिंग इन्डस्टरीज़ लिमिटेड बनाम स्टेट औफ राजस्थान एंड अदर्स. 1999 (5) सप्लीमेंट एस.सा. आर 87 : (2000) 1 एस.सी.सी 371; मुकंद लिमिटेड बनाम मुकंद स्टाफ एंड औफ़ीसर्स असोसिएशन 2004 **(2) एस सी आर 951** : **(2004) 10 एस.सी.सी.460**; स्टेट बैंक औफ बीकानेर एंड जयपूर बनाम ओमप्रकाश शर्मा 2006 (2) सप्लीमेंट्री एस.सी.आर 701: (2006) 5 एस.सी.सी. 123----- निर्दिष्ट

निर्दिष्ट निर्णय

1967 एस सी आर 882	**निर्दिष्ट**	**पारा 21**
1982 (1) एस सी आर 20	**निर्दिष्ट**	**पारा 24**
1999 (5) सप्लीमेंट एससी आर 87	**निर्दिष्ट**	**पारा 24**
2004 (2) एससीआर 951	**निर्दिष्ट**	**पारा 24**
2006 (2) सप्लीमेंट. एससीआर 701	**निर्दिष्ट**	**पारा 24**
(1979) 3 एससीसी 762	**अवलम्बन**	**पारा 39**

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार 2015 की सिविल अपील संख्या 1389

(एसएलपी)सी (संख्या 33509/2011 से उत्पन्न)

झारखण्ड उच्च न्यायालय, रांची द्वारा एल.पी.ए. संख्या 447 वर्ष 2009 में पारित निर्णय एंव आदेश तारीख 17.06.2011 से उद्भुत,.

अपीलार्थीगण की ओर से:–रमेश पी, भट्ट, एस. के. सिन्हा, कुमार गौरव, बी. एन. दूबे, सजीथ पी.

उत्तरवादी की ओर: से–अनुपम लाल दास, अनिरुश सिंह.

न्यायालय का निर्णय **न्यायमूर्ति अभय मनोहर सप्रे** द्वारा सुनाया गया। 1. इजाज़त दी गई.

2. यह सिविल अपील असफल रिट याचिकाकर्ताओं द्वारा 2009 के एलपीए संख्या 447 में झारखंड उच्च न्यायालय, रांची द्वारा पारित निर्णय और आदेश दिनांक 17.06.2011 के खिलाफ दायर की गई है, जो दिनांक 03.09.2009 को 1999(आर) के सीडब्ल्यूजेसी संख्या 616 में उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश से उत्पन्न हुआ है।
3. आक्षेपित निर्णय द्वारा, डिवीजन बेंच ने अपीलकर्ताओं की इंट्रा-कोर्ट अपील को खारिज कर दिया और रिट न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा, जिसने अपीलकर्ताओं की रिट याचिका को खारिज कर दिया था और परिणामतः संदर्भित 1995 के केस नंबर 75 में श्रम न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 21.12.1998 के पंचाट को बरकरार रखा गया था।.
4. इस अपील में शामिल विवाद को समझने के लिए, तथ्यों का विस्तार से उल्लेख आवश्यक है।
5. प्रतिवादी, मेसर्स भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (इसके बाद संक्षिप्तत: "बीसीसीएल" के रूप में उद्धृत) भारत सरकार का उपक्रम है। यह विभिन्न प्रकार के कोयले के उत्खनन और बिक्री के व्यवसाय में लगी हुई है। इसकी एक कोलियरी धनबाद, झारखंड में है जिसे "सुदामडीह कोल वाशरी" के नाम से जाना जाता है।
6. दिनांक 24.07.1974 को बीसीसीएल ने कोलियरी चलाने के लिए टर्नकी आधार पर वाशरी के निर्माण के लिए निविदाएं आमंत्रित कीं। ठेका एक कंपनी - मेसर्स एमसी नेली, भारत इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड (इसके बाद "ठेकेदार" के रूप में उद्धृत) को दिया गया था। तदनुसार 29.01.1976 को बीसीसीएल और ठेकेदार के बीच एक समझौता निष्पादित किया गया। चूँकि कार्य का निष्पादन टर्नकी आधार पर किया जाना था, ठेकेदार को वाशरी को चालू करने के लिए सभी कार्य करना आवश्यक थे। इस कार्य में वॉशरी का पूरा डिज़ाइन, प्लांट, भवन निर्माण, मशीनरी की स्थापना, वॉशरी की संरचनाओं के सभी प्रकार के निर्माण आदि के लिए आवश्यक सामग्रियों की आपूर्ति भी शामिल थी।
7. अनुबंध के अनुसार, ठेकेदार ने 1977 में कई कुशल और अकुशल श्रमिकों को नियोजित करके काम शुरू किया और दिसंबर 1979 तक इसे पूरा कर लिया। काम पूरा होने के बाद, ठेकेदार ने सभी श्रमिकों सिवाय

39 कुशल श्रमिकों को छोड़कर, जिन्हें वाशरी के संचालन के बाद रखरखाव कार्य की देखभाल के लिए रखा गया, बर्खास्त कर दिया और उन्हें औद्दयोगिक विवाद अधिनियम, 1947 (संक्षेप में "अधिनियम") की धारा 25 के प्रावधानों के अनुसार,छंटनी मुआवजे की पेशकश की। ये 39 कर्मचारी काम करते रहे। लगभग एक वर्ष तक उनकी सेवाएँ बरकरार रखने के बाद, प्रबंधन ने जनवरी, 1981 में इन 39 कर्मचारियों की सेवाएँ भी समाप्त कर दीं। इन 39 कर्मचारियों ने बीसीसीएल के साथ सेवा में अपने समाहित किए जाने और सेवा की निरंतरता की मांग करते हुए विवाद खड़ा कर दिया। चूंकि उनकी मांगें स्वीकार नहीं की गईं, इसलिए निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने के लिए अधिनियम की धारा 10 के तहत औद्योगिक न्यायाधिकरण संख्या 3 धनबाद को 1981 के संदर्भित मामले संख्या 58 के तहत निम्मलिखित प्रशन का उत्तर देने के लिए एक संदर्भ दिया गया :

"क्या मेसर्स भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, पोस्ट सुदामडीह, जिला धनबाद के सुदामडीह कोल वाशरी के प्रबंधन द्वारा सर्वश्री गोरख शर्मा और 38 अन्य को अपने नियमित कर्मचारियों के रूप में शामिल नहीं करना उचित है? यदि नहीं, तो कथित श्रमिक किस तरह की राहत पाने के हकदार हैं?"

8. औद्योगिक न्यायाधिकरण ने अपने संदर्भित पंचाट दिनांक 03.03.1983 द्वारा श्रमिकों के पक्ष में संदर्भ का उत्तर दिया और निर्देश दिया कि 39 श्रमिकों को बीसीसीएल द्वारा अपने नियमित कर्मचारियों के रूप में अपने रोजगार में शामिल किया जाए और उन्हें ऐसे सभी परिणामित लाभ दिए जाएं जिनके वे हकदार थे। बीसीसीएल ने न्यायाधिकरण के इस पंचाट में दिए गए आदेश को चुनौती नहीं दी और इन 39 श्रमि कों को अपने रोजगार में समाहित और नियमित करने के निर्देशों का पूर्णतः पालन किया।
9. यह उल्लेखनीय है कि पांच श्रमिकों (यहां अपीलकर्ताओं सहित), जिन्होंने एक ही परियोजना में काम करने के दावा आधार पर आदेश । नियम 11, सिविल प्रक्रिया संहिता,1908 के तहत मुंसिफ द्वितीय धनबाद की अदालत में बीसीसीएल के खिलाफ शीर्षक सिविल मुकदमा संख्या 51/1980 दायर किया। जिसके तहत यह घोषित करने की प्रार्थना की गई कि वे बीसीसीएल के तहत अपनी सेवाओं को जारी रखने के हकदार षहैं और यह भी कि उनकी सेवाओं को सभी परिणामी लाभों के साथ बीसीसीएल की नियमित

सेवा में समाहित और नियमित किया जाए। उन्होंने सिविल मुकदमे के लंबित रहने तक बीसीसीएल को उनकी सेवाएं समाप्त करने से रोकने के लिए निषेधाज्ञा की भी प्रार्थना की थी।

10. हालाँकि, ट्रायल कोर्ट ने ससंघर्ष वादी को अस्थायी निषेधाज्ञा देने से इनका कर दिया। इसमें कोई विवाद नहीं है कि मुकदमे के लंबित रहने के दौरान इन कर्मचारियों की सेवाएं क्रमविच्छेद समाप्त कर दी गई थीं। इसलिए, वे अब सेवा में नहीं रह गए थे।

11. निर्णय और डिक्री दिनांक 27.05.1983 द्वारा, ट्रायल कोर्ट ने मुकदमा वादी के पक्ष में डिक्री देते हुए अभिनिर्धारित किया कि वादीगण बीसीसीएल की सेवा में बने रहने के हकदार हैं।

12. वादी के पक्ष में दिए गए डिक्री से व्यथित महसूस करते हुए, बीसीसीएल ने अपीलीय न्यायालय के समक्ष 1983 की शीर्षक अपील संख्या 71 दायर की। अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय और आदेश दिनांक 16.12.1986 द्वारा अपील को खारिज करते हुए ट्रायल कोर्ट के निर्णय और डिक्री की सम्पुष्टि की।

13. बीसीसीएल ने मामले का पीछा करते हुए उच्च न्यायालय के समक्ष 1987 (आर) की द्वतीय स्वत्व अपील संख्या 23 दायर की। उच्च न्यायालय ने दिनांक 05.03.1993 के फैसले और आदेश द्वारा दूसरी अपील को स्वीकार करते हुए उक्त दोनों न्यायालयों के फैसले और डिक्री को रद्द कर दिया, जिनके द्वारा वादी के स्वत्व वाद की डिक्री की गइ थी। और अपने फैसले में यह व्यवस्था दी कि श्रम कानूनों के प्रावधानों के आलोक में मुकदमा चलने योग्य नहीं था|

14. उपरोक्त निर्णय के खिलाफ, वादी (कर्मचारियों) ने इस न्यायालय के समक्ष विशेष अनुमति याचिका (सी) संख्या 4495/1994 दायर की। आदेश दिनांक 14.11.1994 द्वारा, इस न्यायालय ने अनुमति देने के बाद, वादी/अपीलकर्ताओं को किसी भी उचित राहत का दावा करने के लिए यदि ऐसा सलाह दिया जाता है तो, औद्योगिक न्यायाधिकरण से संपर्क करने की स्वतंत्रता के साथ, अपील (सीए नंबर 8403/1994) को खारिज कर दिया,

15. यह पृष्ठभूमि है जिसके साथ, वादी (पांच श्रमिकों) ने अधिनियम की धारा 10 के तहत केंद्र सरकार से संपर्क किया और साथ ही 150 से अधिक श्रमिकों की ओर से उनके समावेषण और नियमितीकरण के लिए, प्रतिनिधि क्षमता में, उनके मुद्दे का समर्थन किया और एक औद्योगिक प्रस्ताव बनाने के लिए प्रार्थना की। केन्द्र सरकार ने इस बाबत निर्णय के लिए औद्योगिक न्यायाधिकरण को औद्योगिक संदर्भ

की बात स्वीकार करते हुए इस पर निर्णय देने के लिए औद्योगिक न्यायाधिकरण को निम्नलिखित संदर्भ दिया:

> **"क्या मेसर्स भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, पोस्ट सुदामडीह, जिला धनबाद की सुदामडीह कोल वाशरी का प्रबंधन ऐनुएल हक और 150 अन्य (जैसा कि संलग्न सूची में उल्लिखित है) को अपने नियमित कर्मचारियों के रूप में समाहित नहीं करना उचित है? यदि नहीं, तो उक्त कामगार किस राहत के हकदार हैं ?"**

16. औद्योगिक न्यायाधिकरण ने दिनांक 21.12.1998 के अपने पंचाट द्वारा श्रमिकों के विरुद्ध संदर्भ का उत्तर दिया। यह माना गया कि वे बीसीसीएल की सेवा में नियमित कर्मचारियों के रूप में शामिल होने के हकदार नहीं थे। श्रमिकों ने व्यथित होकर 1999 की 616 (आर) संख्या सी.डबलू.जे.सी.उच्च न्यायालय के समक्ष दायर किया। विद्वान एकल न्यायाधीश ने दिनांक 03.09.2009 के आदेश द्वारा रिट याचिका को खारिज कर दिया और ट्रिब्यूनल द्वारा पारित पंचाट को बरकरार रखा। श्रमिकों ने मामले का पीछा करते हुए **2009 की एलपीए संख्या 447 के तहत इंट्रा कोर्ट अपील दायर की**। डिवीजन बेंच ने आक्षेपित फैसले द्वारा पंचाट में कोई गलती नहीं पाते हुए अपील को खारिज कर दिया। उक्त आदेश को चुनौती देते हुए, श्रमिकों ने इस न्यायालय के समक्ष विशेष अनुमति के माध्यम से यह अपील दायर की।

17. आक्षेपित निर्णय की वैधानिकता और शुद्धता पर सवाल उठाते हुए, अपीलकर्ताओं के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री आर.पी. भट्ट ने मुख्य रूप से दो बिंदुओं पर जोर दिया। उनका पहला निवेदन यह था कि निचली अदालतों ने अपीलकर्ताओं के पक्ष में संदर्भ का उत्तर न देकर गलती की और इस तरह निचली अदालतों ने उन्हें वह राहत न देकर गलती की जिसके लिए संदर्भ दिया गया था। उनका दूसरा निवेदन यह था कि चूंकि समान संदर्भ (संदर्भ मामला संख्या 58/1981), 39 श्रमिकों के दरखास्त पर अपीलकर्ताओं के सम्बंध में भी दिया गया था, जिसका उत्तर श्रमिकों के पक्ष में दिनांक 03.03.1983, एक किले के सिध्दांत पर दिया गया था और, वर्तमान संदर्भ समान प्रकृति का है और समता बनाए रखने के लिए समान प्रकृति के संदर्भ का उत्तर भी अपीलकर्ताओं के पक्ष में दिया जाना चाहिए था। दूसरे शब्दों में, दलील यह थी कि यदि श्रमिकों के एक समूह को न्यायालय से पहले ही लाभ मिल गया था, तो समान रूप से रखे गए श्रमिकों के दूसरे समूह को भी वही लाभ दिया जाना चाहिए था। विकल्प में, विद्वान

वरिष्ठ वकील ने आग्रह किया कि किसी भी प्रकार का अपीलकर्ताओं को कोई छंटनी मुआवजा नहीं दिया गया था, जिसके लिए अन्यथा वे अधिनियम की धारा 25 के प्रावधानों के अनुसार ठेकेदार या/और बीसीसीएल से प्राप्त करने के हकदार थे। अनुबंध श्रम निषेध और विनियमन अधिनियम, 1970 के प्रावधानों और इसलिए इस सीमा तक, यह न्यायालय अभी भी ठेकेदार या बीसीसीएल या दोनों को, जैसा भी मामला हो, अपीलकर्ताओं को छंटनी मुआवजा देने का निर्देश दे सकता है।

18. इसके उलट, प्रतिवादी-बीसीसीएल के विद्वान वकील ने आक्षेपित आदेश का समर्थन किया और तर्क दिया कि अपीलकर्ताओं द्वारा आक्षेपित आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई मामला नहीं बनता है और इसलिए अपील खारिज करने योग्य है।

19. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने और मामले के रिकॉर्ड का परिशीलन करने के बाद, हमें अपीलकर्ताओं की मुख्य दलीलों में कोई योग्यता नहीं मिली, लेकिन वैकल्पिक दलील में दम नजर आया।

20. इससे पहले कि हम मामले के तथ्यात्मक मैट्रिक्स की जांच करें, हम अधिनियम की धारा 10 के तहत संदर्भ बनाने में उपयुक्त सरकार की शक्तियों और ट्रिब्यूनल के क्षेत्राधिकार के संबंध में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून पर ध्यान देना उचित मौक़ा समझते हैं। संदर्भ का उत्तर देने के मामले में वास्तव में यह अच्छी तरह से सुस्थापित हो गया है और अब कोई भिन्नता का अंश नहीं रह गया है।

21. **दिल्ली क्लॉथ एंड जनरल मिल्स कंपनी लिमिटेड बनाम द वर्कमेन एंड अदर्स** (एआईआर 1967 एससी 469) मामले में इस न्यायालय द्वारा विचार किए जाने वाले प्रश्नों में से एक यह था कि संदर्भ बनाते समय उपयुक्त सरकार की शक्तियां क्या हैं और अधिनियम की धारा 10 के तहत औद्योगिक न्यायाधिकरण का दायरा और अधिकार क्षेत्र क्या है।

22. न्यायमूर्ति मित्तर ने बेंच की ओर से बोलते हुए कहा:

> **"(8) ..... अधिनियम की धारा 10(1)(डी) के तहत , उपयुक्त सरकार के लिए यह छूट है कि जब उसकी राय हो कि कोई औद्योगिक विवाद मौजूद है तो वह लिखित में आदेश दे सकती है कि विवाद या कोई भी मामला जो धारा 10(4) के तहत न्यायनिर्णयन के लिए न्यायाधिकरण के साथ जुड़ा हुआ या विवाद से संबंधित प्रतीत होता है, जहां एक आदेश में एक औद्योगिक विवाद को श्रम न्यायालय, न्यायाधिकरण को संदर्भित किया जाता है। इस धारा के तहत राष्ट्रीय न्यायाधिकरण या बाद के आदेश में, उपयुक्त सरकार ने न्यायनिर्णयन के लिए विवाद के बिंदुओं**

को निर्दिष्ट किया है, श्रम न्यायालय या न्यायाधिकरण या राष्ट्रीय न्यायाधिकरण, जैसा भी मामला हो, अपने न्यायनिर्णयन को उन बिंदुओं और प्रासंगिक मामलों तक सीमित रखेगा। तत्संबंधी।"

(9) उपरोक्त से ऐसा प्रतीत होता है कि जब कि विवाद या उससे जुड़े किसी भी मामले को न्यायनिर्णयन के लिए संदर्भित करने के लिए उपयुक्त सरकार स्वतंत्र है, फिर भी न्यायाधिकरण को अपने न्यायनिर्णयन को संदर्भित विवाद के बिंदुओं और उससे जुड़े प्रासंगिक मामलों तक ही सीमित रखना चाहिए। दूसरे शब्दों में, ट्रिब्यूनल उसे संदर्भित विवाद के दायरे को बढ़ाने के लिए स्वतंत्र नहीं है, लेकिन उसे अपना ध्यान विशेष रूप से उल्लिखित बिंदुओं और उससे जुड़ी प्रसंगिता तक सीमित रखना चाहिए। वेबस्टर की न्यू वर्ल्ड डिक्शनरी के अनुसार " प्रसांगिकता (शब्द का अर्थ है:

"किसी अधिक महत्वपूर्ण चीज़ के परिणामस्वरूप या उसके संबंध में घटित होना; एक घटना होना; आकस्मिक; इसलिए, गौण या गौण, लेकिन आम तौर पर जुड़ा हुआ:"

इसलिए "विवाद से संबंधित कुछ" का अर्थ विवाद के परिणामस्वरूप या उसके संबंध में घटित होने वाली या विवाद से जुड़ी कोई बात होना चाहिए। विवाद मूलभूत चीज़ है जबकि उससे जुड़ी कोई चीज़ उसकी सहायक चीज़ है। इसलिए, कुछ भी आकस्मिक, उस मुख्य चीज़ की जड़ को नहीं काट सकता जिससे वह सहायक है|"

23.**पॉटरी मजदूर पंचायत बनाम परफेक्ट पॉटरी कंपनी लिमिटेड और अन्य** , (1979) 3 एस.सी.सी. 762 में रिपोर्ट किए गए एक मामले में तीन जजों की बेंच के सामने यही मुद्दा विचार के लिए आया। न्यायमूर्ति वाई.वी. चंद्रचूड़ - विद्वान मुख्य न्यायाधीश इस मामले में बोलते हुए कानून का निम्नलिखित प्रतिपादन किया:

"10. उच्च न्यायालय के समक्ष दो प्रश्नों पर बहस की गई: पहला, क्या न्यायाधिकरणों के पास बंद करने..... के औचित्य या औचित्य पर सवाल उठाने का अधिकार क्षेत्र था और दूसरा, क्या उनके पास छंटनी मुआवजे के सवाल पर विवेचना का अधिकार क्षेत्र था। उच्च न्यायालय ने पहले सवाल पर यह व्यवस्था दी है कि औद्योगिक विवादों में ट्रिब्यूनल का अधिकार क्षेत्र उसके निर्णय के लिए विशेष रूप से निर्दिष्ट बिंदुओं और उससे जुड़े प्रासंगिक मामलों तक सीमित है और यह कि ट्रिब्यूनल उसे दिए गए संदर्भ की शर्तों से आगे नहीं जा सकता। दूसरे प्रश्न के सम्बंध में उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी की इस दलील को स्वीकार कर लिया कि छंटनी मुआवजे के सवाल पर केंद्रीय अधिनियम की धारा 33-सी(2) के तहत इसे तय किया जाना चाहिए।

11. अपीलकर्ता की ओर से श्री गुप्ता द्वारा किए गए बहस पर गहन ध्यान व विचार- के बाद, हमारी राय है कि पहले प्रश्न पर उच्च न्यायालय का दृष्टिकोण सही है। संदर्भ की शर्तों से पता चलता है कि पार्टियों के बीच विवाद का मुद्दा प्रतिवादी द्वारा अपना व्यवसाय बंद करने का

तथ्य नहीं था, बल्कि व्यवसाय बंद करने के लिये कथित लिए गए निर्णय का औचित्य और इसकी उपयुक्तता थी। इसी कारण यह कहने के लिए संदर्भ व्यक्त किए गए कि क्या व्यवसाय को बंद करने का प्रस्ताव उचित और औचित्य पूर्ण था। दूसरे शब्दों में, संदर्भों के अनुसार, सरकार द्वारा न्यायाधिकरणों को इस प्रश्न पर निर्णय देने के लिए नहीं कहा गया था कि क्या वास्तव में व्यवसाय बंद हो गया था या क्या व्यवसाय बंद करने का बहाना बनाते हुए प्रबंधन द्वारा श्रमिकों को बाहर कर दिया गया था। संदर्भ [रेफरेंस] इस संकीर्ण प्रश्न तक सीमित होने के कारण कि क्या बंद करना उचित था, संदर्भों की शर्तों के अनुसार, न्यायाधिकरणों के पास बंद करने (कलोज़र) के तथ्य के परे जाने और इस सवाल की जांच करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था कि क्या व्यवसाय वास्तव में प्रबंधन द्वारा बंद कर दिया गया।"

24. कानून के उपर्युक्त सिद्धांत को मेसर्स फायरस्टोन टायर एंड रबर कंपनी ऑफ इंडिया (पी) लिमिटेड बनाम द वर्कमेन एम्प्लॉयड जिसका प्रतिनिधित्व फायरस्टोन टायर कर्मचारी संघ कर रहा था ए.आई.आर. 1981 एस.सी 1626, नेशनल इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य, **(2000) 1 एस.सी.सी. 371, मुकंद लिमिटेड बनाम मुकंद स्टाफ एंड ऑफिसर्स एसोसिएशन , (2004) 10 एस.सी.सी. 460 और स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर बनाम ओम प्रकाश शर्मा**, (2006)) 5 एससीसी 123. मामलों में लगातार दोहराया गया है|

25. के तहत केवल तभी संदर्भ देने का अधिकार है जब "औद्योगिक विवाद मौजूद हो" या "पार्टियों के बीच इसका संदेह हो"। इसी प्रकार, यह भी स्पष्ट है कि संदर्भ का उत्तर देते समय ट्रिब्यूनल को अपनी जांच को संदर्भित प्रश्न तक ही सीमित रखना होगा और संदर्भ का उत्तर देते समय प्रश्न(प्रश्नों) या/और संदर्भ की शर्तों से परे जाने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। एक फोर्टियोरी, उन प्रश्नों पर कोई जांच नहीं की जा सकती है, जो संदर्भ का उत्तर देने के लिए विशेष रूप से ट्रिब्यूनल को संदर्भित नहीं किए जाते हैं।

26. अब इस मामले के तथ्यों पर विचारण करने पर स्पष्टतः यह स्वीकृत तथ्य है कि अपीलकर्ताओं और जिनके कहने पर संदर्भ दिया गया था, उनकी सेवाएं संदर्भ बनाने से बहुत पहले ही समाप्त कर दी गई थीं। इसलिए, ये कर्मचारी संदर्भ करने की तिथि पर ठेकेदार या/और बीसीसीएल की सेवाओं में नहीं थे। इसलिए, संदर्भ देने की तिथि पर बीसीसीएल की सेवाओं में अपीलकर्ताओं के समावेशित के संबंध में कोई औद्योगिक विवाद "मौजूद" या " इसकी शंका" नहीं थी।

27. वास्तव में अपीलकर्ताओं के समावेशण से संबंधित विवाद को निर्णय के संदर्भ में संदर्भित किया जा सकता था, यदि अपीलकर्ता ठेकेदार या/और बीसीसीएल की सेवाओं में रहे होते। लेकिन जैसा कि ऊपर कहा गया है, चूंकि अपीलकर्ताओं की सेवाएं बहुत पहले बंद कर दी गई थीं या/और छंटनी (चाहे सही या गलत) कर दी गई थी, बीसीसीएल की सेवाओं में उनके अवशोषण या नियमितीकरण का सवाल ही नहीं उठता था, जैसा कि उनके द्वारा दावा किया गया था, और न ही यह मुद्दा। इसकी योग्यता के आधार पर इस कारण से विचार किया जा सकता था कि जब तक अपीलकर्ता रोजगार में नहीं थे, तब तक अपीलकर्ताओं को समाहित/नियमित करने के लिए कोई निर्देश देना कानूनी रूप से संभव नहीं था।

28. यह कानून का स्थापित सिद्धांत है कि सेवा में अवशोषण और नियमितीकरण का दावा या/और तभी किया जा सकता है जब रोजगार का अनुबंध मौजूद हो और कर्मचारी और नियोक्ता के बीच लागू हो। एक बार जब यह या तो समय की बर्बादी से या रोजगार के अनुबंध की शर्तों के अनुसार या नियोक्ता द्वारा इसकी समाप्ति के कारण समाप्त हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में, कर्मचारी और नियोक्ता का रिश्ता समाप्त हो जाता है और अब इसके आगे अस्तित्व में नहीं रहता है। सिवाय सीमित उद्देश्य के लिए सेवा से उन्मुक्ति की वैधता और शुद्धता की जांच करने के ।

29. हमारी सुविचारित राय में, एकमात्र औद्योगिक उतपद्दित विवाद, जो न्याय-निर्णयन के लिए औद्योगिक न्यायाधिकरण को भेजा गया था वह अपीलकर्ताओं के रोजगार की समाप्ति के संबंध में था और, क्या यह वैध था या नहीं? यह एक स्वीकृत तथ्य है कि इसे ट्रिब्यूनल को संदर्भित नहीं किया गया था और इसलिए, अब यह अपीलकर्ताओं के खिलाफ पूर्णता प्राप्त कर चुका।

30. इसलिए, हमारी सुविचारित राय में, संदर्भ, भले ही बीसीसीएल की सेवाओं में अपीलकर्ताओं के समावेशषण के मुद्दे की जांच करने के लिए बनाया गया था, परंतु यह बात गलतफहमी के सबब थी।

31. इस मामले में दर्शित इस कमजोरी के अलावा, हम पहले के संदर्भ (RCNo.58/81) और मौजूदा मामले के तथ्यों में कोई मुनासिबत नहीं पा सके। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, पिछला संदर्भ बीसीसीएल में 39 श्रमिकों के अवशोषण का लिए गए निर्णय से संदर्भित किया गया था। ऐसा संदर्भ इसलिए बन सका क्योंकि वे सेवा में थे. जहां तक वर्तमान मामले का सवाल है, अपीलकर्ता सेवा में नहीं थे।

32. यह सुरक्षित रूप से नोट किया जा सकता है कि केवल इस कारण कि दोनों संदर्भों में श्रमिगण एक ही परियोजना में काम कर रहे थे, उन्हें दूसरों के दावे के साथ समानता का दावा करने का कोई अधिकार देने के लिए पर्याप्त नहीं था। जब तक मामले में उत्पन्न होने वाले सभी प्रासंगिक मुद्दों पर समानता साबित नहीं हो जाती, तब तक कोई भी श्रमिक चाहे व्यक्तिगत हो या सामूहिक रूप से रोजगार नियोक्ति की स्थिति में समानता के आधार पर राहत का दावा करने का हकदार नहीं थे।

33. पूर्वगामी चर्चा के आलोक में, हमारी सुविचारित राय है कि बीसीसीएल के लिए अपीलकर्ताओं के समावेशषण के मुद्दे की जांच करने के लिए किया गया संदर्भ उक्त प्रश्न पर संदर्भित होने में असमर्थ था और किसी भी स्थिति में, यह अपीलकर्ताओं के पक्ष में उत्तर दिये जाने में सक्षम नहीं था।

34. इसके अलावा, जब तीन न्यायालयों ने, इस कमज़ोरी के बावजूद, तथ्यों पर गौर किया और माना कि अपीलकर्ता बीसीसीएल की सेवाओं में किसी भी समावेशषण का दावा करने के हकदार नहीं थे, तो हमारी सुविचारित राय में, उनका ऐसा मानना सही था और हम अपने अपीलीय क्षेत्राधिकार में तथ्यात्मक मुद्दों पर नए सिरे से विचार करने के लिए कोई अच्छा आधार नहीं मिल रहा है। तीन न्यायालयों द्वारा दर्ज किए गए तथ्यात्मक निष्कर्ष इस न्यायालय पर बाध्यकारी हैं।

35. इसलिए, हमें आक्षेपित आदेश को रद्द करने का कोई आधार नहीं मिला और तदनुसार हम उसे बरकरार रखने की व्यवस्था देते हैं।

36. यह हमें अगले प्रश्न पर ले जाता है कि क्या अपीलकर्ता छंटनी मुआवजे के भुगतान की राहत का दावा करने के हकदार हैं। इस मुद्दे पर गंभीरतापूर्वक विचार करने के बाद, हमारा मानना है कि इस मामले के विशिष्ट तथ्यों और कारणों को ध्यान में रखते हुए, जो हमने नीचे दिए हैं, हम यह मानने के इच्छुक हैं कि अपीलकर्ता ठेकेदार/बीसीसीएल से छंटनी-मुआवजा का दावा करने के हक़दार हैं।

37. इसका कारण यह है कि सबसे पहले, प्रतिवादी ने ट्रिब्यूनल के समक्ष दायर अपने लिखित बयान में अधिनियम की धारा 25एफ के प्रावधानों के अनुसार ऐसे सभी श्रमिकों को छंटनी मुआवजा देने की पेशकश की है। दूसरे, प्रतिवादी द्वारा यह दिखाने के लिए कोई दस्तावेज दाखिल नहीं किया गया कि प्रतिवादी ने आज तक अपीलकर्ताओं या किसी भी श्रमिक को ऐसा कोई मुआवजा दिया। आखिरश, तीन

दशक से अधिक समय बीत चुका है और अभी भी समावेशषण, और/या मुआवज़ा भुगतान के मुद्दे का विवाद अपने अंतिमता को नहीं पहुंच पाया है|

38. वास्तव में, इसी तरह की परिस्थितियों में, इस न्यायालय ने **पॉटरी मजदूर पंचायत** के मामले (Supra= ऊपर वर्णित) में श्रमिकों को छंटनी मुआवजे का भुगतान करने का निर्देश दिया था और समापन पैराग्राफ में निम्नलिखित प्रासंगिक टिप्पणियां की थीं:

> **"17. छंटनी मुआवजे के भुगतान के संबंध में द्वतीय प्रश्न पर विचार करना अनावश्यक है और इसलिए, हम इस बारे में कोई राय व्यक्त नहीं करेंगे कि क्या न्यायाधिकरणों के पास इस प्रश्न के अंतःकरण में जाने का अधिकार क्षेत्र था। खुशी की बात है कि दोनों पक्ष इस मुद्दे पर एक समझौते पर पहुंच गए हैं। वह प्रश्न जिसके तहत, प्रतिवादी आज से छह महीने की अवधि के भीतर केंद्रीय अधिनियम, अर्थात् औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 25FFF के प्रावधानों के अनुसार, इस धारा के परंतूक की सहायता के बिना, छंटनी किए गए श्रमिकों को देय छंटनी मुआवजा तय करने के लिए सहमत है । इस सहमति के अनुसार उत्तरवादी आज से छह महीने के अंदर छंटनी मुआवजा तय कर लेंगे । छंटनी मुआवजा तय होने के बाद, प्रत्येक कर्मचारी को देय मुआवजा तय करने वाले प्रक्रिया की एक प्रति प्रतिवादी द्वारा श्रमिकों के संघ को भेजी जाएगी कानूनी प्रतिनिधियों को भेजी जाएगी। तदोपरांत श्रमिक या उनके कानूनी प्रतिनिधि, जैसी स्थिति हो, वह प्रतिवादी से छंटनी मुआवजा प्राप्त करने के हकदार होंगे, जो उन्हें इसका भुगतान करने के लिए सहमत है, प्रतिवादी श्रमिकों को पूर्व में भुगतान की गई छंटनी मुआवजे की राशि को बकाया राशि के मुकाबले समायोजित करने का हक होगा। इस समझौते के तहत उन्हें. छँटनी मुआवज़ा प्राप्त होने पर संबंधित कर्मचारी उस संबंध में राहत के लिए दायर किए गए आवेदन, यदि कोई हों, वापस ले लेंगे।**
>
> **18. हम केवल यह जोड़ना चाहेंगे कि श्रमिकों को जो मुआवजा दिया जाएगा, वह अवसर आने पर किसी नए व्यवसाय में प्रतिवादी से रोजगार प्राप्त करने के उनके अधिकार, यदि कोई हो, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा।"**

39. **पॉटरी मजदूर पंचायत** (Supra=ऊपर वर्णित) में इस न्यायालय द्वारा अपनाए गए मार्ग पथ के अनुसरण के साथ , हम औद्योगिक न्यायाधिकरण को प्रत्येक श्रमिक के छंटनी मुआवजे के भुगतान के दावे पर निर्णय लेने के लिए अपीलकर्ताओं (150 या जैसा हो) के मामले को सत्यापित करने का निर्देश देते हैं। अधिनियम **की धारा 25एफ** के प्रावधानों और तदनुसार उसे छंटनी मुआवजे का भुगतान किया जाना

चाहिए। यदि किसी श्रमिक की मृत्यु हो गई है तो मामले का उचित सत्यापन करने के बाद उसकी मुआवजा राशि का भुगतान उसके कानूनी प्रतिनिधि को किया जाएगा।

40. हालाँकि, हम यह स्पष्ट करते हैं कि प्रतिवादी श्रमिकों के दावे की स्थिरता के बारे में कोई आपत्ति नहीं उठाएगा और न ही ट्रिब्यूनल के समक्ष गुण-दोष के आधार पर कोई आपत्ति उठाएगा और जांच केवल प्रत्येक को देय छंटनी मुआवजे की मात्रा निर्धारित करने तक ही सीमित रहेगी। कार्यकर्ता.

41. अपीलकर्ता और उत्तरदाता 16.02.2015 को ट्रिब्यूनल के समक्ष उपस्थित होंगे और मुआवजे की मात्रा निर्धारित करने के लिए ट्रिब्यूनल को प्रत्येक कार्यकर्ता के दावे को सत्यापित करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक दस्तावेज दाखिल करेंगे। ट्रिब्यूनल ठेकेदार को **अनुबंध श्रम निषेध और विनियमन अधिनियम, 1970** के प्रावधानों के आलोक में कार्यवाही में भाग लेने में सक्षम बनाने के लिए नोटिस जारी करेगा । अपीलकर्ताओं और ऐसे सभी श्रमिकों का प्रतिनिधित्व ट्रिब्यूनल के समक्ष मान्यता प्राप्त संघ के माध्यम से किया जा सकता है।

42. समस्त कार्यवाही पूर्ण कर छह माह के अन्दर श्रमिकों को भुगतान किया जाये।

43. इन निर्देशों के साथ, अपील का निपटारा किया जाता है।

निधि जैन

अपील निष्पादित

यह अनुवाद मो. अशरफ हुसैन अंसारी (पैनल अनुवादक) के द्वारा किया गया।